कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]
[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./ 1160 बिलासपुर दिनांक 31/08/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)

विषय— भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के तहत् सफल संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ द्वारा बिलासपुर जिला के बिलासपुर वनमण्डल अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि रकबा 6.897 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन बाबत्। पंजीयन कमांक FP/CG/OFC/42622/2019

संदर्भ :—
1. छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, का पत्र क्र. एफ 5—14/2020/10—2 अटल नगर रायपुर दिनांक 27.05.2021
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू—प्रबंध/व.सं.अ.), छ.ग. रायपुर का पत्र क्र. /भू—प्रबंध/विविध/115—827/1166 दिनांक 05.06.2021
3. प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, का कार्यालयीन पत्र क्र./TPL/BN/PM/6487 दिनांक 23.08.2021

—00—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव में प्रभावित हो रहें वन क्षेत्र का सही—सही विवरण देते हुये 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट अनुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव संदर्भ क. 03 द्वारा आवेदक विभाग से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु कमांकवार विवरण निम्नानुसार है:—

बि.क. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) — आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड छ0ग0 इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ0ग0 द्वारा परिक्षेत्र के वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क. 2 प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 02) — अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर के कार्यालयीन पत्र क्र. भू—प्रबंध/विविध/एल.एम.—115/826/3232 दिनांक 28.11.219 द्वारा रजिस्ट्रेशन कमांक — FP/CG/OFC/42622/2019 आबंटित किये गये है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रू 24000/— जमा कराया गया है। पुष्टि हेतु डिमांड ड्रॉफ्ट की छायाप्रति संलग्न पृष्ठ क. 68।

बि.क. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 03 से 12 तक)— परियोजना अंतर्गत कुल रकबा 6.897 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसमें से बिलासपुर वनमण्डल का रकबा 4.563 हे., कोटा परियोजना मण्डल बिलासपुर का रकबा 1.906 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 0.428 हे. शामिल है।

बिलासपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र बिलासपुर अंतर्गत वनभूमि के रकबा 0.776 हे., परिक्षेत्र रतनपुर रकबा 1.572 हे., परिक्षेत्र कोटा रकबा 0.589 हे. एवं परिक्षेत्र बेलगहना रकबा 1.626 हे. वनभूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है।

कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.) वन विकास निगम लिमिटेड के अधीनस्थ बेलगहना परियोजना परिक्षेत्र का रकबा 0.903 हे., कोटा परियोजना परिक्षेत्र का रकबा 0.594 हे. एवं भैसाझार परियोजना परिक्षेत्र का रकबा 0.409 हे. शामिल है। मण्डल प्रबंधक कोटा परियोजना मण्डल बिलासपुर का पत्र क./व.वि.नि./के.पी./माचि./2021/3583 दिनांक 12.03.2021 द्वारा रकबा 1.906 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है, पुष्टि हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

D/MS Ward/Office CCF-18

क्रमांक ... 6/10/21

235

Scanned with CamScanner

इसी प्रकार बिलासपुर जिला के बिलासपुर वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित राजस्व वन भूमि का कुल रकबा 0.428 हे. शामिल किया गया है। जिस वनभूमि का घनत्व 0.6 से कम है।

बि.क्र. 4. गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 13 से 17 तक) – भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने के लिए मार्गों के समानान्तर राईट ऑफ वे तहत ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाई जायेगी, जिसमें प्रभावित गैर वन क्षेत्र का कुल रकबा 69.324 हे. है।

बि.क्र. 5 प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 18–22 तक) – प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है। मानचित्र का टोपोशीट क्र. 64F11, 64F14, 64F15, 64F16, 64G13, 64J02, 64J03, 64J04, 64J07, 64J08, 64K01, 64K05, 64K06 है। जिस पर आवेदित वनक्षेत्र को सुपर इम्पोज कर दर्शित किया गया है। मानचित्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित है।

बि.क्र. 6 वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 23–24 तक) वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7 प्रपत्र–4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 25–31 तक) – प्रपत्र 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 141 करोड़ 17 लाख रू बतायी गई है। आवेदक विभाग ने कथन किया गया है कि उद्देश्यों की पूर्ति में सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है तथा प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र की मांग की गयी है।

बि.क्र. 8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 32–34 तक) – तीन पृष्ठीय टीप आवेदक विभाग द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि छ0ग0 राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ0ग0 सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया आयेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतो को जोड़कर उच्च गति ब्रांडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।

बि.कं.09 न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 35) – आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी हस्ताक्षरित है।

बि.क. 10 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 36) – वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंधन नहीं किया गया है।

बि.क. 11. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 37–50) – भाग –2 पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 27.08.2021 को स्थल निरीक्षण (प्रस्ताव पृष्ठ 45–50) के उपरांत प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

बि.क. 12. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 51) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नही है जिससे संबंधित आवेदक विभाग एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क. 13. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 52–55) – ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट– ऑफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल केबल लाईन बिछाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है, का कथन आवेदक विभाग द्वारा की गई है।

बि.क. 14. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में.) (प्रस्ताव पृष्ठ 56) – बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमण्डल का कुल वनभूमि 78336.000 हे. है।

बि.क. 15. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में. (प्रस्ताव पृष्ठ 57) – प्रस्ताव पृष्ठ 66 पर स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि का विवरण संलग्न है। बिलासपुर वनमण्डल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कुल 723.378 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में प्रभावित हुई है।

बि.क. 16 व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि रकबा हे. में. (प्रस्ताव पृष्ठ 58) – इस श्रेणी के कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि का रकबा निरंक है।

Scanned with CamScanner

बि.क्र. 17. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हांथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 59) अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 60 से 61 तक) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बिलासपुर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2019 जारी किया गया है। वन अधिकार संलग्न है।

बि.क्र. 19 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 62 से 64 तक)– प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वनभूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बिलासपुर के पत्र कं. /2914/भू.अ./रा.अ.भू.अ./2019 दिनांक 25.11.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है।

बि.क्र. 20 पंजीयन कमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्र. 31437, 31441 दिनांक 17.10.2019। प्रस्ताव के पेज कं. 65 से 68 में पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 21 राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारणय के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा प्रस्ताव के पेज कं. 69 में संलग्न है। ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण क्षेत्र नहीं है, के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के अनुशंसा हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव – 4 बुकलेट।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल ,बिलासपुर (छ.ग.)

कमांक/तक.अधि/ 1161 बिलासपुर दिनांक 31/08/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) सिविल लाईन रायपुर छ0ग0 रायपुर को उनके संदर्भित पत्र के अनुकम में सूचनार्थ।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल ,बिलासपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner